आवश्यक

संख्या: 14/2019/1407/12-2-2019-67/2004

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त (लखनऊ मण्डल को छोडकर),
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2019

विषय: खरीफ अभियान, 2019 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन हेतु मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ, 2019 के लिए अधिक फसलोत्पादन के लिए रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या: 1275/12-2-2019-67/2004 दिनांक 07 मई, 2019 द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी, 2019 का आयोजन पूर्व की भॉति प्रत्येक मण्डल पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि परिस्थितिवश ऐसा सम्भव न हो तो मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा:-

क्र0सं0	मण्डल का नाम	स्थान	आयोजन की तिथि	दिन
1	कानपुर एवं प्रयागराज	कानपुर	25 मई, 2019	शनिवार
2	मेरठ एवं सहारनपुर	मेरठ	29 मई, 2019	बुधवार
3	बरेली एवं मुरादाबाद	मुरादाबाद	30 मई, 2019	गुरूवार
4	अयोध्या, बस्ती एवं देवीपाटन	अयोध्या	01 जून, 2019	शनिवार
5	गोरखपुर एवं आजमगढ	गोरखपुर	03 जून, 2019	सोमवार
6	आगरा एवं अलीगढ	आगरा	07 जून, 2019	शुक्रवार
7	वाराणसी एवं विंध्याचल	वाराणसी	14 जून, 2019	शुक्रवार
8	झांसी एवं चित्रकूटधाम	झांसी	21 जून, 2019	शुक्रवार

3. खरीफ उत्पादकता गोष्ठी, 2019 का समन्वय कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन स्तर के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। खरीफ अभियान से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाएगा।

अतः कृपया तदनुसार मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी, 2019 का आयोजन अपने मण्डल स्तर पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या: 14/2019/1407(1)/12-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव,सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मोदीपुरम, मेरठ/सैमहिग्गिनबॉटम इन्स्टीटयूफ ऑफ एग्रीकल्चर टैक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद एवं बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रशासक, शारदा सहायक, राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायत राज/सूचना विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान, वाराणसी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ/को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ/भूमि सुधार निगम, लखनऊ/को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन/सिंचाई विभाग, लखनऊ।
11. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
12. सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, लखनऊ।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, लखनऊ।
14. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराते हुए प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
17. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
19. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
20. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।